HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 590/2026

Ghanshyam Das Lalwani (Deceased During Suit).

----Appellants/Plaintiffs

Versus

Smt. Meethi Bai Lalwani & Ors.

----Respondents/Defendants

For Appellant(s) : Mr. Dhruv Tailor
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

08/05/2026

अपीलार्थी/वादीगण के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि इस प्रकरण में मुख्य विवाद वसीयत दिनांक 16.07.1991 व वसीयत दिनांक 28.05.1987 को लेकर है। अपीलार्थी/वादीगण दिनांक 16.07.1991 की वसीयत को सही होना मानते हैं, जबकि प्रत्यर्थीगण जो अपीलार्थी/वादीगण के रिश्तेदार हैं दिनांक 28.05.1987 की वसीयत को सही होना मानते हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया है। प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त संपत्ति का विक्रय कर दिया तो अपीलार्थी/वादीगण का वाद संस्थित करने का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा, अतः अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 16.07.1991 तथा दिनांक 28.05.1987 की दोनों वसीयतें अपीलार्थी/वादीगण के पिता श्री किशनलाल द्वारा निष्पादित किया जाना बताया गया है। उक्त दोनों वसीयतों में से कौनसी वसीयत सही है और कौनसी फर्जी व बनावटी है, यह तथ्य इस प्रकरण में महत्वपूर्ण है। प्रत्यर्थीगण को अपीलार्थी/वादीगण का रिश्तेदार होना बताया गया है।

अतः न्यायहित में प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण वादग्रस्त संपत्ति को प्रकरण की आगामी तिथि तक किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य

से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को बेचान/अंतरण, रहन नहीं करेंगे। उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है तथा आगामी पेशी पर उक्त आदेश स्वतः ही समाप्त हो जावेगा और प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से निषेधाज्ञा जारी किए जाने के संबंध में आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किया जावे तथा संबंधित न्यायालय से प्रकरण से संबंधित अभिलेख तलब कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /5